उत्तराखण्ड का उच्च न्यायालय नैनीताल

रिट याचिका (आपराधिक) सं0– 835 /2021

पंकज चौधरी और एक अन्य..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य.....प्रतिवादी

उपस्थितः–

श्री राकेश थपलियाल वरिष्ठ अधिवक्ता व सहायक अधिवक्ता श्री पंकज चतुर्वेदी याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री ललित मिगलानी, ए. जी. ए. साथ में सुश्री लता नेगी, ब्रीफ होल्डर राज्य/प्रतिउत्तर दाता 1 और 2 के लिए।

श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायक अधिवक्ता श्री कौशल पांडे प्रतिउत्तरदाता नं0 3 और 4 के लिए।

निर्णय

माननीय रवींद्र मैथानी, जे.

प्रारंभ में यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एफ. आई. आर. नं. 198/2021 अंतर्गत धारा 147,153ए, 504 और 506 भा.दं.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (10) (संक्षेप में, ''अधिनियम''), पुलिस स्टेशन झबरेडा, जिला हरिद्वार को रद्द कराने और संबंधित अनुतोष बाबत योजित की गयी थी। याचिका विचाराधीन रहने के दौरान मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, संशोधन के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने आरोप पत्र के साथ–साथ जिला और सत्र

न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा विशेष सत्र परीक्षण सं. 19/2021, उत्तराखण्ड राज्य बनाम पंकज चौधरी और एक अन्य में संज्ञान आदेश दिनांकित 22.07.2021 को रद्द कराना चाहा है।

2. विवाद पर विचार करने के लिए आवश्यक तथ्य, जो संक्षेप में बताए गए हैं, नीचे दिए गए हैं:–

प्रतिवादी नं. 3 के द्वारा दिनांक 19.05.2021 को समय 09:48 बजे पुलिस थाना झबरेडा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 147,153ए, 504 और 506 भा.दं.सं और अधिनियम की धारा 3 (1) (10) के अंतर्गत दर्ज करायी। इसके अनुसार, उस तारीख को, विधानसभा के एक सदस्य, देशराज कर्णवाल (''पीड़ित'') ने लगभग पूर्वाहन 11:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (संक्षेप में, ''पीएचसी''), झाबरेरा का दौरा किया जब पीड़ित पीएचसी का निरीक्षण कर रहा था, तब दोनों याचिकाकर्ता तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ मौके पर पहुंचे और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पीड़िता को गाली–गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पीड़ित का अपमान करते हुए कहा कि चमार गिट्टल, हमने आपको विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनकर गलती की है। आप गुर्जरों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों ने इस घटना का वीडियो वायरल कर दिया, ताकि समाज के विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दिया जा सके। प्रारंभ में, इस एफ0आई0आर. को अभिखंडित करने की मांग की गई थी।

3. मामले में जांच के बाद, याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 504,506,34 और अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) और (एस) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। दिनांक 22.07.2021 को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया और मामले की कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे अभिखंडित करने की भी मांग की गई है।

4. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि पूरी घटना का राजनीतिकरण करने के लिए, और कुछ गुप्त उद्देश्यों तथा हेतुक के लिए, इस मामले प्राथमिकी दर्ज की गई है, घटना के वीडियो फुटेज के अवलोकन से पता चलता है कि पीड़ित को कोई धमकी नहीं दी गई थी और कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की गई थी पीड़ित एक राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए, उससे प्रभावित होकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी यह दुर्भावनापूर्ण है।

5. सूचनादाता, जो प्रत्यर्थी सं0 3 नहीं है, ने अपना प्रतिशपथ पत्र दायर किया है और याचिका में किए गए दावों का स्पष्ट रूप से खण्डन किया है। प्रत्यर्थी सं0 3 के अनुसार पीड़ित को उसके जीवन की धमकी दी गई थी और उसके खिलाफ भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया था तथा पीड़ित को उसकी जाति के कारण परेशान किया गया था।

6. राज्य ने भी अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। इसके अनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा कानून के चंगुल से खुद को बचाने के लिए दावे किए गए हैं। जाँच अधिकारी ने पाया कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं की सक्रिय भूमिका है वीडियो क्लिप और चश्मदीद गवाहों द्वारा उनकी पहचान की गई है याचिकाकर्ताओं ने जघन्य अपराध किए हैं।

7. घटना के वीडियो क्लिप और उसका प्रतिलेखन भी अभिलेख में है।

8. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओ को सूना गया और पत्रावली का परिशीलन किया गया।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित बहस की हैंः–

1. वीडियो क्लिपिंग के अवलोकन से पता चलता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित के खिलाफ कोई धमकी नहीं दी और न ही किसी जाति आधारित टिप्पणी का इस्तेमाल किया। प्राथमिकी और कुछ नहीं, बल्कि एक गढ़ी हुई कहानी है।

2. जनता का सदस्य होने के नाते, याचिकाकर्ताओं ने केवल अपने प्रतिनिधि जो पीड़ित है के खिलाफ अपनी शिकायतें उठाई, याचिकाकर्ताओं ने किसी भी तरह से पीड़ित का अपमान नहीं किया है।

3. अधिनियम के प्रावधान मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि पीड़ित को किसी भी तरह से अपमानित नहीं किया गया है।

4. किसी भी मामले में, यदि किसी ने जातिगत टिप्पणी की है तो भी अधिनियम के तहत` दंडनीय कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि पीड़ित का केवल उसकी जाति के लिए व्यक्तिगत रूप से अपमान नहीं किया गया है।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विभिन्न दस्तावेजों का भी संदर्भ दिया है। अपने दलील के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया है, जैसा कि

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335, विनीत कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा, (2017) 13 एस. सी. सी. 369 पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ और अन्य, (2020) 4 एस. सी. सी. 727 और हितेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और एक अन्य (2020) 10 एस. सी. सी. 710 के मामलों में निर्धारित किया गया है।

11. भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत और इसके पैरा 102 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे पर चर्चा की, जैसा कि नीचे कहा गया है:–

''102. अध्याय 14 के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रियाके दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथमदृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर–संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी बाध्यता है (जिसके तहत – आपराधिक कार्यवाही स्थापित की जाती है) संस्थापन को और कार्यवाही जारी रखने के लिए और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो व्यथित पक्ष की कष्ट के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावपूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावपूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।''

12. विनीत कुमार (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ, ''धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत उच्च न्यायालय को दी गई अंतर्निहित शक्ति'' का अवलोकन किया। न्यायाधीश की उन्नति के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ है। यदि किसी व्यक्ति द्व ारा किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ न्यायालय की प्रक्रियाका गंभीर दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है, तो न्यायालय को बहुत हद तक इस प्रयास को रोकना होगा। ''इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा कि भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित किया गया था कानून के सिद्धांतों का पालन किया, ।

13. पृथ्वीराज (उपरोक्त) के मामले में, जो अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ''न्यायालय, असाधारण मामलों में, तय किए गए मापदंडों पर प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मामलों को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि पुर्नविलोकन याचिकाओं पर निर्णय लेते समय पहले ही देखा जा चुका है। कानूनी स्थिति स्पष्ट है, और इसके विपरीत कोई तर्क नहीं उठाया गया है।''

14. हितेश वर्मा (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया, जैसा कि खेम सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2020) 18 एस. सी. सी. 763 के मामले में निर्धारित किया गया था, जिसमें, पैरा 15 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः–

''15 जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, अपराध ऐसा होना चाहिए जिससे अधिनियम की धारा 3 (2) (अ) के तहत अपराध को आकर्षित किया जा सके। व्यक्ति के खिलाफ अपराध इस आधार पर किया गया होगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। मौजूदा मामले में, यह तथ्य कि मृतक ''खंगर''–अनुसूचित जाति से संबंधित था, विवादित नहीं है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपराध केवल इस आधार पर किया गया था कि पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य था और इसलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (अ) के तहत अपीलार्थी–अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है।''

15. उपरोक्त सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, हितेश वर्मा के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ''इसलिए, अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता है कि सूचना देने वाला अनुसूचित जाति का सदस्य है, जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को इस कारण से अपमानित करने का इरादा न हो कि पीड़ित ऐसी जाति से है।''

16. वहीं दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं0 3 और 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमानयाचिका स्वयं पोषणीय नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में, आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और याचिकाकर्ताओं के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ''संहिता'') की धारा 482 के तहत वैकल्पिक उपाय है। इसलिए, वर्तमानयाचिका पोषणीय नहीं है।

17. प्रतिवादी 3 और 4 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि –

(i) हितेश वर्मा (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं

होते हैं, क्योंकि उस मामले में तथ्य विवाद में नहीं थे, जबकि वर्तमान मामले में तथ्य बहुत विवाद में हैं।

(ii) घटना के कुछ वीडियो क्लिपिंग हैं, लेकिन पूरी घटना किसी भी वीडियो क्लिपिंग में कैद नहीं हुई है। कुछ गवाह हैं, जिन्होंने बताया है कि कैसे पीड़ित का जातिगत टिप्पणियों का उपयोग करके अपमान किया गया था।

(iii) वर्तमान मामले में तथ्यात्मक पहलू निहित हैं, जिन पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता।

(iv) वीडियो क्लिपिंग में, यह स्पष्ट रूप से सुनाई देता है कि याचिकाकर्ताओं ने यह कहकर पीड़ित को डराया–धमकाया है कि उन्होंने एक छड़ी रखी है।

18. यह तर्क दिया गया है कि अपराध बनता हैं और वर्तमान याचिका खारिज की जानी चाहिए। राज्य के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मामले में तथ्यात्मक पहलू निहित हैं, इसलिए कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

19. रिट याचिका की पोषणीयता के सवाल पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद कुमार मोहट्टा और अन्य बनाम राज्य (सरकार) (2019) 11 एस. सी. सी. 706 के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा रखा है। यह तर्क देने के लिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक प्राथमिकी को रद्द करने की कार्यवाही केवल इसलिए निष्फल नहीं होती है क्योंकि बाद में आरोप पत्र दायर किया गया है। इसी कार्यवाही में आरोप पत्र पर भी सवाल उठाया जा सकता है। इस बिंदु पर, प्रतिवादी 3 और 4 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि आनंद कुमार मोहत्ता (उपरोक्त) के मामले में याचिका एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत थी और जब आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, तो उस पर भी सवाल उठाया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि आनंद कुमार मोहत्ता (उपरोक्त) के मामले में तथ्य अलग थे।

20. आनंद कुमार मोहत्ता (उपरोक्त) के मामले में, संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिका समय से पहले दायर की गई है क्योंकि मामला अभी भी जांच के चरण में था। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले लंबित रहने के दौरान संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट दायर की गई थी।उस मामले में याचिकाकर्ता ने संशोधन की मांग की और प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध

के अलावा आरोप पत्र को रद्द करने के लिए अनुरोध को शामिल किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दी थी।

21. वास्तव में, न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का दायरा काफी व्यापक है। भजन लाल (ऊपर) के मामले में दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं जिनके तहत इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

22. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि भजन लाल (उपर्युक्त) के मामले में पैरा 102 में धारा 1,2,3 और 7 वर्तमानमामले में पूरी तरह से लागू होते हैं। यह भी तय कानून है कि इस स्तर पर, न्यायालय को आम तौर पर उस सामग्री पर विचार नहीं करना चाहिए जो जांच का हिस्सा नहीं है। यह भी तय कानून है कि ऐसे मामलों में तथ्यात्मक पहलुओं की गहराई से जांच नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, इस स्तर पर, एक लघु परीक्षण आयोजित नहीं किया जाना चाहिए और एक वैध अभियोजन को इसकी सीमा पर नहीं रोका जाना चाहिए।

23. प्राईवेट प्रतिवादिओं की ओर से वर्तमान याचिका की पोषणीयता का सवाल उठाया गया है। वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता इस न्यायालय के लिए याचिका पर विचार करने के लिए आत्यन्तिक बाधा नहीं है। हर मामले का फैसला तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए एक सीधा सूत्र नहीं हो सकता है। शुरू में, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी। उस स्तर तक, पोषणीयता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा हुआ कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान मामले में 22.07.2021 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने आरोप पत्र को रद्द करने के साथ–साथ संज्ञान आदेश को रद्द करने के अनुरोध को शामिल करके याचिका में संशोधन की मांग की।

24. 28.05.2021 पर वर्तमान याचिका दायर की गई थी। ज्यादातर दलीलों का आदान–प्रदान उस तारीख से पहले किया गया था जब मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। यह संयोग की बात है कि 22.07.2021 से पहले याचिका का निपटारा नहीं किया जा सका। केवल इसलिए कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र दायर किया गया है और याचिकाकर्ता द्व ारा याचिका में संशोधन किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को

संहिता के प्रावधानों के तहत उपाय लेने के लिए पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए। संहिता के तहत उपाय का अस्तित्व एक बात है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, जब इस न्यायालय ने इस याचिका पर निर्णय लेने में एक लंबा रास्ता तय किया, तो अदालत की राय में, यह अन्यायपूर्ण हो सकता है, अगर इस याचिका को अब वैकल्पिक राहत की उपलब्धता के कारण गैर–पोषणीय कहा जाता है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि वैकल्पिक राहत की उपलब्धता वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए बाधा नहीं हो सकती है।

25. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है। प्राथमिकी में किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया है और कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से भाग लिया गया है।

26. दुर्भावना क्या है? इसे कैसे परिभाषित किया जाए? बिहार राज्य और एक अन्य बनाम पी0पी0 शर्मा आई0ए0एस व अन्य 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 192, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ''शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का प्रश्न केवल तभी महत्व रखता है जब आपराधिक अभियोजन बाहरी विचारों और अनधिकृत उद्देश्य के लिए शुरू किया जाता है।''न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः–

''49. उपरोक्त पृष्ठभूमि के केंद्र बिंदु यह है कि क्या शिकायतकर्ता आर0के0 सिंह या जांच अधिकारी जी0एन0 शर्मा में से किसी एक की ओर से अभिकथित दुर्भावना से आरोप पत्र दूषित होते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के न्यायिक पुर्नविलोकन द्वारा एस0ए0डी स्मिथ, (तीसरा संस्करण पृष्ठ 293) ने कहा कि–

''वैधानिक शक्तियों के प्रयोग के संबंध में बुरे विश्वास की अवधारणा में बेईमानी (या धोखाधड़ी) और द्वेष शामिल हैं। एक शक्ति का प्रयोग धोखाधड़ी से किया जाता है यदि इसका भंडार उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने का इरादा रखता है जिसके लिए वह मानता है कि शक्ति प्रदान की गई है। उनका इरादा किसी अन्य सार्वजनिक हित या निजी हित को बढ़ावा देना हो सकता है। एक शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया जाता है यदि इसका संग्रहण उन लोगों के प्रति व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित होता है जो इसके अभ्यास से सीधे प्रभावित होते हैं।

....प्रशासनिक विवेकाधिकार का अर्थ है प्रशासनिक रूप से विवेकपूर्ण होने की शक्ति। इसका तात्पर्य किसी कार्य को करने या किसी मामले को विवेक से तय करने का अधिकार है... ''

''50. असदभावपूर्ण का अर्थ है अच्छे विश्वास की कमी, व्यक्ति पक्षपात, द्वेष, तृष्णा या अनुचित उद्देश्य या गुप्त उद्देश्य।

''51. इसलिए की गई कार्रवाई को दुर्भावपूर्ण साबित किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के विचारों के लिए केवल दावा या अस्पष्ट या कोरा बयान पर्याप्त नहीं है। इसे किसी दिए गए मामले में स्वीकार किए गए या सिद्ध तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यदि यह स्थापित हो जाता है कि इस तरह के किसी भी विचार के लिए या सत्ता पर धोखाधड़ी या सत्ता के रंगीन प्रयोग के लिए कार्रवाई दुर्भावपूर्ण तरीके से की गई है, तो इसे खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।''

27. कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा और एक अन्य, (2002) 3 एस. सी. सी. 89 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होनी चाहिए। न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग करने में चौकस और न्यायसंगत होना चाहिए और आदेशिका जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा न हो कि यह किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध शुरू करने के लिए एक निजी शिकायतकर्ता के हाथों में एक साधन बन जाए।''

28. पंजाब राज्य बनाम वी0के0 खन्ना और अन्य ए. आई. आर. 2001 343 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास दुर्भावपूर्ण की अवधारणा की व्याख्या करने का अवसर था और न्यायालय ने कहा कि 'दुर्भावपूर्ण' अभिव्यक्ति का कानूनी वाक्यांश विज्ञान में एक निश्चित महत्व है और यह संभवतः काल्पनिक कल्पना या आशंकाओं से भी नहीं निकल सकता है, लेकिन पूर्वाग्रह और कार्यों के मौजूदा निश्चित प्रमाण होने चाहिए जिन्हें अन्यथा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है—कार्य जो अन्यथा प्रामाणिक नहीं हैं, हालाँकि, अपने आप में दुर्भावपूर्ण नहीं होंगे जब तक कि वे कुछ अन्य कारकों के साथ असंगत न हों जो कार्य करने वाले की ओर से एक बुरे उद्देश्य या इरादे को दर्शाते हैं।''

29. द्वेष, दुर्भावना, प्रतिशोध, ये सभी शब्द दुर्भावना से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है सद्भावना में नहीं। इन अवधारणाओं पर भी वर्तमान मामले की जांच की जानी चाहिए।

30. भा.दं.सं. सी. की धारा 504,506 और 34 और अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) और (एस) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। भा.दं.सं. सी. की धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के मामले में सजा का प्रावधान करती है। यह इस प्रकार हैः–

धारा 504. लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान– जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक–शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।''

31. भा.दं.सं. सी. की धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा निर्धारित करती है।यह इस प्रकार हैः–

''आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।''

यदि मृत्यु या गंभीर क्षति आदि का खतरा हो और यदि मृत्यु या गंभीर क्षति पहुँचाने, या आग से किसी संपत्ति को नष्ट करने, या मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने, या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास या किसी महिला पर अनैतिकता का आरोप लगाने की धमकी दी जाती है, तो दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो सात साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।''

32. आपराधिक अभित्रास को भा.दं.सं. सी. की धारा 503 के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार हैः–

''आपराधिक अभित्रास– जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाये, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप

कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।''

स्पष्टीकरण।– किसी भी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की धमकी, जिसमें धमकी देने वाला व्यक्ति रुचि रखता है, इस धारा के भीतर है।''

33. माणिक तनेजा और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और एक अन्य, (2015) 7 एस. सी. सी. 423 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भा.दं.सं. सी. की धारा 503 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा, ''यह अभियुक्त की मंशा है जिस पर यह तय करने में विचार किया जाना चाहिए कि उसने जो कहा है वह आपराधिक धमकी के अर्थ में आता है या नहीं। धमकी शिकायतकर्ता को चेतावनी देने या उस व्यक्ति को कोई काम करने या करने से रोकने के इरादे से दी जानी चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि ''केवल अभिव्यक्ति'' धमकी देने के इरादे के बिना किसी भी शब्द का प्रयोग इस धारा को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। लेकिन, यह दिखाने के लिए सामग्री को रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए कि इरादा शिकायतकर्ता को सतर्क करने का है।''माणिक तनेजा (उपरोक्त) के मामले में, ये टिप्पणियां एक याचिका में की गई थीं, जिसमें भा.दं.सं. की धारा 353 और 506 के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी। आखिरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में प्राथमिकी को अभिखंडित कर दिया था।

34. विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2019) 14 एस. सी. सी. 207 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भा.दं.सं. सी. की धारा 506 के आवश्यक तत्व क्या हैं। न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः–

''25. अब, धारा 506 पर वापस लौटते हुए, जो आपराधिक धमकी का अपराध है, फियोना श्रीधारो खफियोना श्रीधारो बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 44 द्वारा निर्धारित सिद्धांतः(2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 715, को यह पता लगाने के लिए भी लागू किया जाना चाहिए कि अपराध की सामग्री बनाई गई है या नहीं।यहाँ, एकमात्र आरोप यह है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया।भा.दं.सं. सी. की धारा 506 के तहत अपराध साबित करने के लिए, वे कौन से तत्व हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा? अपराध कानून पर रतनलाल और धीरजलाल, 27 वीं संस्करण अपराध के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित कहा गया हैः

''... अभियोजन पक्ष को साबित करना चाहिएः

(i) कि आरोपी ने किसी व्यक्ति को धमकी दी।

(ii) कि इस तरह की धमकी में उसके व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को कुछ नुकसान शामिल है या किसी ऐसे व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को जिसमें वह रुचि रखता था।

(iii) कि उसने ऐसा उस व्यक्ति को भय करने के इरादे से किया था या उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करना जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं था, या किसी भी ऐसे कार्य को करने से बचना जो वह इस तरह की धमकी के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में करने का कानूनी रूप से हकदार था।''

शिकायत में आरोपों का एक साधारण अध्ययन सभी अवयवों को संतुष्ट नहीं करता है जैसा कि ऊपर देखा गया है।''

35. परमिंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, (2020) 8 एस. सी. सी. 811 के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भा.दं.सं. सी. की धारा 506 की प्रयोज्यता की व्याख्या करने का अवसर था और न्यायालय ने कहा कि ''अपीलकर्ता के इरादे को खतरे में डालने या किसी कार्य को करने/उससे दूर रहने के लिए मजबूर करने के इरादे को साबित करना, न कि केवल शब्दों के उच्चारण, भा.दं.सं. सी. की धारा 506 के तहत सफल दोषसिद्धि की पूर्व शर्त है।''

36. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अंतिम निर्णय के चरण में वर्तमान कोई मामला नहीं है। प्रथमदृष्टया, चीजों की प्रकृति को ही देखा जाना चाहिए।

37. अमूल्या कुमार बेहरा बनाम नबघानी बेहरा और अन्य 1995 सी0आर0एल0जे 3559 के मामले में, माननीय उडीसा उच्च न्यायालय के पास भा.दं.सं. सी. की धारा 506 के प्रावधानों की व्याख्या करने का अवसर था। न्यायालय ने अपनी अनिवार्यताओं को इस प्रकार नोट किया:–

''7. भा.दं.सं. सी. की धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित है। धारा 503 उक्त अपराध को परिभाषित करती है।इसमें निम्नलिखित आवश्यक बातें हैं।

(1) किसी भी पीडित व्यक्ति को धमकी देना

(अ) उसके व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति के लिए या

(ब) उस व्यक्ति या प्रतिष्ठा के लिए जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है।

(2) धमकी इरादे के साथ होनी चाहिए

(अ) उस व्यक्ति को धमकी देना या

(ब) उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करना जो वह ऐसी धमकी के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है या

(स) उस व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य करने से रोकने के लिए जो वह व्यक्ति ऐसी धमकी के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में कानूनी रूप से करने का हकदार है।

इसलिए, इरादा पीड़ित को सतर्क करने का होना चाहिए और वह भय में है या नहीं, इसका वास्तव में कोई परिणाम नहीं है। लेकिन यह दिखाने के लिए सामग्री को रिकॉर्ड पर लाना होगा कि इरादा उस व्यक्ति के लिए भय पैदा करना था। इसमें धमकी देने के इरादे के बिना किसी भी शब्द की अभिव्यक्ति भा.दं.सं. की धारा 506 को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अपराध का सार वह प्रभाव है जो धमकी देने वाले व्यक्ति के मन पर पड़ने का इरादा है।यह स्पष्ट है कि इससे पहले कि यह उसके दिमाग पर प्रभाव डाल सके, यह या तो उसे धमकी देने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए या किसी तरह से उसे सूचित किया जाना चाहिए। इस धारा ने अपने पहले मसौदे के बाद से एक पूर्ण परिवर्तन किया है, जिसमें हत्या, चोट, शरारत, घर तोड़ना, अप्राकृतिक अपराध और बलात्कार जैसे कुछ अपराधों की गणना करने के बाद, अपराध को अन्य बातों के साथ–साथ, व्यक्ति को परेशान करने या आतंकित करने पर निर्भर करता है। (धारा 482)।''संकट'' शब्द का स्वाभाविक रूप से विरोध किया गया था, हालांकि विधि आयोग ने (दूसरी रिपोर्ट, धारा 417)। इसके प्रतिधारण का बचाव किया। मूल धारा स्पष्ट रूप से अपराधों पर रसेल के कार्य से लिया गया था और यह असंबद्ध और अधूरा दोनों था।मौजूदा धारा व्यावहारिक रूप से नया है, और संकट और आतंक के लिए ''धमकी'' शब्द के प्रतिस्थापित का उद्देश्य अपराध को केवल उन मामलों तक सीमित करना है जहां इसका प्रभाव उन शब्दों की तुलना में अधिक पीड़ा का कारण बनता है। खतरे वाली क्षतिके कारण होने वाली चिंता और मानसिक पीड़ा अक्सर वास्तविक क्षतिके बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। लॉर्ड एलेनबरो ने कहा, ''इसे दोषारोपण योग्य बनाने के लिए, खतरा ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिसकी गणना एक दृढ़ और विवेकपूर्ण व्यक्ति पर काबू पाने के लिए की जाती है.....

इरादा एक मानसिक स्थिति है जिसे मामले की परिस्थितियों से एकत्र किया जाना चाहिए। धमकी का उद्देश्य भय कारित देना होना चाहिए जिससे यह पता चलता है कि, आम तौर पर, यह उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा। इस तरह के खतरे की मात्रा अलग–अलग मामलों में अलग–अलग हो सकती है, लेकिन आवश्यक बात यह है कि यह उस व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर करने की प्रकृति और सीमा का है जिस पर यह काम करता है और उसके कार्यों से मुक्त

स्वैच्छिक कार्रवाई के उस तत्व को छीन लेता है जो केवल सहमति का गठन करता है।
जहाँ खतरा एक अलार्म उत्पन्न करता है वह तुलनात्मक रूप से एक सरल है, क्योंकि तब यह साबित करना होगा कि धमकी दी गई थी और अलार्म खतरे के कारण था लेकिन जहाँ खतरे का वह प्रभाव नहीं है, इसमें एक सवाल शामिल है कि क्या यह सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति पर काबू पाने के लिए पर्याप्त था। न्यायालय इसे एक खाली घमंड मान सकता है, जो धारा 506 के दंडात्मक निरीक्षण का आह्वान करने के लिए बहुत महत्वहीन है। वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार ''डराना'' का अर्थ है ''(1) डराना व धमकाना (2) धमकी या हिंसा के साथ डराने पर बल देना या रोकना। ''धारा में निर्दिष्ट धमकी एक ऐसी धमकी होनी चाहिए जिसे उसके दिमाग को प्रभावित करने के उद्देश्य से धमकी दिए गए व्यक्ति को सूचित करने के इरादे से संप्रेषित या बोली गई हो। सवाल यह है कि क्या धमकी एक आपराधिक धमकी के बराबर है या नहीं, यह व्यक्तिगत खतरे के मानदंडों पर निर्भर नहीं करता है यदि यह ऐसा खतरा है जो सामान्य दृढ़ता वाले व्यक्ति की सामान्य स्वतंत्र इच्छा को दूर कर सकता है।''धमकी'' एंग्लो–सैक्सन शब्द ''थ्रोटन टू लायर'' (परेशान करना) से लिया गया है। यह दूसरे को सजा, हानि या पीड़ा देने के इरादे की घोषणा है, धारा 44 में ''क्षति'' को परिभाषित किया गया है। इसमें एक अवैध कार्य करना शामिल है। यदि यह धारा में उल्लिखित इरादे से किया गया है, तो यह एक अपराध है।धमकी देने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के इरादे से धमकी दी गई थी या नहीं, यह रिकॉर्ड में लाए जाने वाले सबूतों से स्थापित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में उस संबंध में सामग्री का पूरी तरह से अभाव है।यद्यपि विद्वान जे. एम. एफ. सी. ने गलती से अभिनिर्धारित किया है कि शिकायतकर्ता का धारा से भयभीत नहीं होने के कारण कोई आवेदन नहीं है, फिर भी वह अपने निष्कर्ष में सही है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि आरोपी व्यक्ति का इरादा शिकायतकर्ता को डराने का था।''

38. इरादे, निस्संदेह मन की एक स्थिति होने के कारण कार्यों और उपस्थित कारकों का पता लगाए बिना पढ़ा या नोट नहीं किया जा सकता है। इसे ऐसे ही देखा जा सकता है। इस मामले से निपटते समय कुछ तथ्यों को ध्यान में रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता ग्रामीण हैं, जिन्होंने पीड़ित से संपर्क किया जब वह पीएचसी झाबरेरा जा रहा था।पीड़ित क्षेत्र की विधानसभा का सदस्य है। प्राथमिकी पीड़ित के निजी सचिव द्वारा दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, घटना लगभग सुबह 11: 30 बजे हुई और उसी दिन पुलिस स्टेशन में 9:48 बजे सूचना दी गयी।

39. प्राथमिकी को इस तरह से देखा जाना चाहिए। इसके अनुसार, जब पीड़ित पीएचसी का निरीक्षण कर रहा था तो याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, गाली–गलौज की, पीड़ित को जातिगत टिप्पणी करने की धमकी दी। प्राथमिकी में दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने समाज में शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए घटना का वीडियो वायरल किया था। प्राथमिकी के अनुसार, घटना का वीडियो सार्वजनिक किया गया था। यह वायरल हो गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा सके। न्यायालय को सावधानी बरतनी होगी कि यह आपराधिक मामले के प्रारंभिक चरण में है और भारत के संविधान की धारा 226 के तहत, आम तौर पर गहरी जांच की अनुमति नहीं है। प्राथमिकी के अनुसार, जो भी हो घटना की तारीख को याचिकाकर्ताओं द्वारा वीडियो ग्राफ किया गया था और उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया।

40. अब जाँच पूरी हो गई है। जाँच अधिकारी (''आई. ओ''.) को दिए गए अपने बयान में सूचना देने वाले ने वीडियो के बारे में बताया है। पीड़ित ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने वीडियो बनाया था, हालांकि एक स्तर पर पीड़ित आई. ओ. को बताता है कि याचिकाकर्ताओं ने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन फिर से वह कहेंगे कि वीडियो के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक किया गया था। पीड़ित के दो निजी सुरक्षा अधिकारी हैं। सिपाही पुलिस हरभजन सिंह और सिपाही पुलिस ध्वजवीर सिंह, दोनों ने उस वीडियो के बारे में बताया है जो बनाया गया था। सौरभ नामक एक गवाह है, जो पीड़ित का चालक है। उन्होंने किसी भी वीडियो के बारे में नहीं बताया है। अन्य गवाहों ने भी घटना के बारे में बताया है। आरोप पत्र में, आई. ओ. रिकॉर्ड करता है कि वीडियो में जो कहा गया था और गवाहों के बयान के आधार पर मामला साबित हुआ था। आई. ओ. ने मामले को अकेले घटना के वीडियो पर आधारित नहीं किया।

41. राज्य ने पीड़ित और याचिकाकर्ताओं के बीच हुई बातचीत और जिसका वीडियो बनाया गया था की प्रतिलिपि दायर की है कुल सात वीडियो हैं और प्रस्तुत किए गए प्रतिलेख इस प्रकार हैं:
''वीडियो नंबर 1

मेहकर–जो सामान रखा गया है उसे मंगेराम बांटना होगा–मुझसे जरूर बात करें। आप कब काम करेंगे?

वीडियो में अन्य चीजें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही हैं।

वीडियो नं.2.

विधायक–मैं आपके लिए यहीं रहूंगा, अब मैं भक्तोवाली का निवासी बन गया हूं।
पंकज–देशराज जी देशराज जी, मेरी बात सुनो, एक भक्तोवाली का बच्चा आपको एक बात बता रहा है, आप विधायक हैं, आपके पद का सम्मान किया जाता है, जिस दिन आप विधायक से दूर कदम रखते हैं और फिर वोट मांगने आते हैं, फिर गैलरी में एक छड़ी होती है, ध्यान रखें मैं इसके बारे में बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं और पूरे गांव की ओर से केवल आपके पद की गरिमा होती है, अन्यथा और कुछ नहीं, आप मुंडन के लायक व्यक्ति हैं। आपने यहाँ कुछ नहीं किया, ठीक है नहीं, उस दिन से नहीं आए, जब आप कल अस्पताल आए थे, तो आपने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा और एक अपराधी बलात्कारी के साथ बैठकर एक वीडियो क्यों नहीं लगाया कि मैंने किया था। आप यहाँ आते हैं और किसी भी तरह से एक पत्रकार को नहीं पकड़ते हैं, आपके पास एक फोन है। आप अपने फोन से अपना वीडियो अपलोड करते हैं।ऐसा नहीं है कि आप उस बलात्कारी के बगल में बैठकर ऐसा करेंगे।
रोहतास–यह सफाई यहाँ किसने कराई? आपने क्या किया है? यहाँ आपकी तस्वीर किसने खींची?
एम. एल. ए.–हाँ, मैंने किया है।
मेहकर–आपने हमारे गाँव में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एम. एल. ए.–अब 10 कार्य गिनाएं।
सब गाँववाले–अरे भाई, कहाँ से गिनती करते हो महाराज? रोहतास–किसी को भी बताइए, क्या हमने यह रास्ता बनाया है?
मनोज–यहाँ हमारे क्षेत्र में क्या किया गया है, गुर्जरों में क्या किया गया है, अपनी पूरी बात रखें, गुर्जरों में क्या किया गया है, एक काम गिनें जो मैंने करवाया है।
रोहतास–आप एक आदमी के बारे में बता सकते हैं। विधायक–मेरी बात सुनो।
मंगेराम–अब मेरी बात सुनो विधायक जी, मैं आपके घर 3 बार गया था, जिस दिन बारिश होती है, न ही मेरी गैलरी में पानी भरता है।
मेहकर–पूरा गाँव आपकी गैलरी से क्यों भर जाता है।
मेहकर–तीन सड़कें हैं, गाँव तक पहुँचने के तीनों रास्ते पानी से भर जाते हैं और कहने वाला

कोई नहीं है।

जहाँ से वे स्थिति देखेंगे, वहाँ आने में उन्हें समय नहीं लगता।(स्पीकर वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है)

गाँववाला–एक आदमी को बता दो कि भाई, हमने काम कर लिया है।

विधायक–अरे बेटा, सारा काम गाँव के अंदर मुखिया भी है।गाँव वाले–हम सड़क पर भी जाएँ, बुजुर्ग भी रहते हैं, वे गिरते हैं और चोटिल हो जाते हैं।

एम. एल. ए.–एम. एल. ए. सारा काम थोड़ा ही करेगा।ग्रामीण–अजी और विधायक क्या करेंगे?

मंगेराम–अपने मुख्य रजिस्टर में यह काम लिखने के बाद आप और क्या करने आए हैं और कहा जा रहा था कि 4 दिन में काम हो जाएगा, विजयंती माला खुद मौके पर जाकर इसे देखने गई थी।

विधायक जी–नाली की बात ऐसी है कि ग्राम पंचायत में यह पास ही है।

रोहतास–अजी कहीं भी पास नहीं है, एक पार्ले वाला है, उरलेवाल की क्या जरूरत है।

नालियों में बहता पानी नहीं है, इसका क्या फायदा होगा। विधायक–मुझे नहीं पता था कि कौन सा पास है और कौन सा नहीं।

मेहकर–जिस दिन से आप बने, आपने किसी की समस्या पूछी, क्या आप आए?

विधायक–क्या आपने फोन किया था?

मेहकर–जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तो आपको बुलाया गया और घेरे में बैठकर पूरे गांव की बैठक की गई। क्या यह नहीं किया गया था?

एम. एल. ए.–हाँ किया गया।

मेहकर–सारा खर्च खुद करते थे, किसी से पैसे नहीं लेते थे।आपने पूछा, आपको क्या चाहिए, भाई?

विधायक जी–अच्छा प्यारे भाई, मुझे एक बात बताइए, गाँव के लोग.....

.....हम वोट नहीं देंगे और आपको एक बार यह पूछे जाने पर सुनेंगे कि एक आदमी के विश्वास पर किसने वोट दिया।

विधायक जी–अरे छोड़ दो भाई, वीडियो अब काफी हो गया है।

पंकज–एक बात सुनो और इस गली में मंगेराम की गली में 2 विकलांग लोग रहते हैं, दोनों पति–पत्नी हैं, उनके लिए रास्ता ऐसा नहीं है कि वे दोनों चले जाएं।

मेहकर–काफी हो गया, इसके बारे में बात करना बंद करो।

वीडियो नं. 3.

अस्पताल जाने पर शुरू में वीडियो में आवाज समझ में नहीं आती है।
महकर–आपको बस पैसे खाने हैं, मुझे बताएं कि क्या काम करना है, नाम लिखें।
रोहतास–आज आपने इसे यहाँ स्थापित कराया (इशारा करते हुए) विधायक जी, मेरी बात अच्छी तरह से सुनें, यह वहाँ से रविदास मंदिर है।

वीडियो नंबर 4

नीतू–अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, जो पैसा आया, उसने जवाब खा लिया।
विधायक–वीडियो बकरी बन गया है, अब मेरी बात सुनो।
पंकज–वीडियो कहीं हमें विधायक से शादी करनी है, देखते हैं आदेश।
मेहकर–देखो किसका आदेश है, पहले बात सुनो, ऐसी महामारी है, आपने रात के लिए कुछ कर्मचारी रखे हैं, आप मुझे बताएँ कि हम दिन में 4 घंटे के बाद क्या करेंगे।
विधायक जी–सुनो पी. एच. सी. मैं 8 साल का हूँ:00 ए. एम. से 2:00 बजे पंकज–विधायक जी, इस महामारी का कोई निश्चित समय नहीं है।यहाँ जल्द ही एम. एल. ए.–कोरोना वायरस अस्पताल खुलने वाला है।
नीतू–एक करोड़ में से 20 लाख त्रिपाठी के 80 लाख आपको दिए जा रहे हैं, त्रिपाठी।त्रिपाठी को काम दें।
माहकर–उनमें से किसी को भी पेट भरने के लिए एक पैसा भी नहीं दे सकते।
नीतू–20 लाख बताने से त्रिपाठी को जाएगा, 80 लाख आपको जाएंगे।पंकज–एक बात बताइए।सुनो विधायक जी, आप आज रात आम जनता के बीच आए हैं, आप वहाँ बैठे थे, डॉ. ब्रह्मपाल का लड़का बलात्कार के मामले में जेल गया था।आप एक अपराधी के साथ बैठकर वीडियो दे रहे हैं, हां मैंने किया है।आप यहाँ के समाज के लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं।
मेहकर–हमारे गाँव में एक भी सबूत दो, क्या करना है।रोहताश–ओह यह तब होगा जब आप काम नहीं करेंगे।

वीडियो 5

मेहकर–यहाँ कोई सड़क नहीं बनी है।

विधायक–सुनो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो।

नीतू–इन लोगों ने झबरेड़ा क्षेत्र को भी कुंभ क्षेत्र से बाहर कर दिया था, अगर यहां काम नहीं हुआ तो अपमान होगा, तो झबरेड़ा के लोग होंगे, ये लोग 5 साल की मस्ती लूटेंगे और गुस्से में होंगे।

वीडियो संख्या 6

विधायक–अरे यार, सुनो, मैं नहीं आया, आदेश को देखो।मेहकर–हमारे मंत्री यहाँ आ रहे हैं, तुम नहीं आ रहे हो।एम. एल. ए.–यह आश्चर्यजनक है, मंत्री कह रहे हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ।मेहकर–तो फिर आप ऐसे समय में मिलते भी नहीं हैं।

एम. एल. ए.–नाला साफ करने का काम अध्यक्ष महकार का है–आप मुझे बताएँ कि आपका क्या काम है।45 हजार का बोर्ड लगाकर आपने हमारे गांव में क्या काम करवाया और हमने यह काम दिखाया।कुछ नहीं किया।

पंकज–आपने उस दिन से नहीं देखा कि आपको विधायक बने 3 साल हो गए हैं। आप नहीं जानते कि डॉक्टर यहाँ रह रहा है या नहीं।आज दिखाई दे रहा है।यहाँ कोई सफाई नहीं करता और सफाई करने वाले को नहीं भेजता।

विधायक–सफाई का काम नगर पालिका का है, सफाई का काम मैं करूँगा, नगर पंचायत करेगी।मेहकर–आपने कुछ नहीं किया।

विधायक जी–35 वर्ष बनाम 5 वर्ष।क्या मैं आपको 5 साल दिखाऊंगा?जल सिंह–मुझे दिखाएँ कि आप क्या देखेंगे।

मेहकर–कुछ मत करो, तुम खाते हो और पैसे खाते हो।एम. एल. ए.–मैंने बत्ती लगा ली है।

पंकज–कौन सी बत्ती, कहाँ लगाई गई है?मेहकर–मुझे बताएँ कि आपने यहाँ क्या काम किया है।

पंकज–ये देशराज जी हैं।आपका कार्यक्रम घर पर किया गया था।आपको वोट दिया, विधायक बनाया। यही कारण है कि 4 साल में आप आज दिखाई नहीं दे रहे हैं।आपकी गाड़ी पलट गई। एम. एल. ए. इसे रहने दीजिए।

नीतू–हीराखेड़ी वाला ओमवीर, सारी रात यहीं रही, मैंने जितेंद्र को 10 पर फोन किया लेकिन तुम बाथरूम से बाहर नहीं आईं।मैडम ने कहा कि यह शादी में है।

रोहताश–जहाँ चाहें वहाँ फोटो लें।
विधायक–मैं कल आपके घर नहीं आया था।आपके घर को सैनिटाइज नहीं किया।

वीडियो संख्या 7

महकार–जो सामान रखा गया है उसे मंगेराम बांटना होगा–मुझसे जरूर बात करें।आप कब काम करेंगे?
वीडियो में अन्य चीजें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही हैं।''

42. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में घटना के वीडियो चलाए गए। बातचीत बहुत सामान्य थी। बातचीत में निहित किसी भी पक्ष की ओर से कोई उच्च स्वर और हाव भाव नहीं था। बातचीत की प्रतिलिपि, जैसा कि ऊपर दर्ज की गई है, से पता चलता है कि वास्तव में ग्रामीण पीड़ित, जो उनका विधायक है, से उसके काम न करने की शिकायत कर रहे थे।

43. प्रतिवादी सं. 3 और 4 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता पंकज ने पीड़ित को बताया था कि विधायक के रूप में पद छोड़ने के बाद अगर वह जाता है और वोट मांगता है तो उन्होंने एक छड़ी रखी है। यह तर्क दिया जाता है कि यह धमकी के बराबर है। यह सच है कि इस तरह के शब्द, उस प्रतिलिपि के अनुसार, याचिकाकर्ता पंकज द्वारा बोले गए थे। लेकिन, यह शिकायत के रूप में था। इसका उद्देश्य पीड़ित को डराना या धमकाना नहीं था या पीड़ित को कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं कहा गया था, जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं था या जो करने का वह कानूनी रूप से हकदार था, उसे करने से नहीं छोड़ता था। यह याचिकाकर्ता पंकज द्वारा दिया गया बयान था। यह भी सच है कि बातचीत की प्रतिलिपि के अनुसार, याचिकाकर्ता पंकज ने पीड़ित से कहा कि वे उसके पद का सम्मान करते हैं, अन्यथा वह पिटाई का हकदार है। लेकिन, यह भी केवल एक कथन है। यहाँ एक शब्द और वहाँ एक शब्द को अलग–अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। पूरी बातचीत देखी जानी चाहिए। इसे आसपास की परिस्थितियों के साथ देखना होगा। यह याचिकाकर्ता और अन्य लोग हैं जो वीडियो बना रहे थे। वे पीड़ित से उसके प्रदर्शन न करने के बारे में पूछताछ कर रहे थे। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से किया गया बयान

आपराधिक अभित्रास नहीं है। यह पीड़ित को सतर्क करने के इरादे से नहीं बनाया गया था। यह पीड़ित का अपमान करने के इरादे से नहीं बनाया गया था।

44. प्रतिलिपि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान का मामला भी नहीं बनाती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा जो कुछ भी कथित रूप से बताया गया था, वह पीड़ित के सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में था। वे किसी भी शांति भंग को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। जैसा कि कहा गया है, वे पीड़ित के गैर–प्रदर्शन के बारे में शिकायत कर रहे थे, जो उनका प्रतिनिधि था। तदनुसार, न्यायालय का विचार है कि भले ही एफ. आई. आर. को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन वह भा.दं.सं. सी. की धारा 504,506 के तहत कोई मामला नहीं बनाता है।

45. अब, सवाल अधिनियम में अपराधों की प्रयोज्यता के बारे में है। प्राथमिकी में, यह दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने ''साले चमार गिट्टल'' शब्दों का इस्तेमाल किया, जो जातिगत टिप्पणी थी, लेकिन प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि घटना का वीडियो बनाया गया था और उसे सार्वजनिक किया गया था। स्वीकृत रूप से जिन सात वीडियो का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनमें ये शब्द नहीं सुने गए हैं।

46. प्रतिवादी सं0 3 और 4 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि पूरी घटना का वीडियो नहीं बनाया गया था और चूंकि पीड़ित ने वे शब्द सुने हैं, इसलिए उसे अपमानित किया गया था। इसलिए, अधिनियम के तहत अपराध बनता है और इस न्यायालय को उस हद तक साक्ष्य की जांच नहीं करनी चाहिए।

47. न्यायालय इस स्तर पर अपेक्षा से अधिक गहराई से जाँच नहीं कर रहा है। याचिका दुर्भावनापूर्ण आधार पर भी दायर की गई है।जैसा कि कहा गया है, अभिकथित घटना सुबह 11: 38 बजे हुई थी और देर शाम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई।

48. अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) और (एस) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। वे इस प्रकार हैं:–

''3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड–(1) जो कोई भी सदस्य या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं है,

.....

.....

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या डराना

(थ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर जाति के नाम से दुर्व्यवहार करना।

49. अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या धमकी देने की बात करती है अधिनियम की धारा 3 (1) (यस) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दुरुपयोग के बारे में है। पीड़ित विधानसभा का सदस्य है और घटना के समय वह अपने निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ था।इस अदालत ने पहले ही कहा है कि घटना के समय पीड़ित को जो कुछ भी बताया गया था, वह आपराधिक धमकी के बराबर नहीं है।यह पीड़ित को कोई चेतावनी देने के इरादे से नहीं बोला गया था।

50. सवाल जातिगत टिप्पणियों के संबंध में है।प्राथमिकी के अनुसार, पूरी घटना का वीडियो बनाया गया था और शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक किया गया था, लेकिन वीडियो में ऐसी कोई जाति–आधारित टिप्पणी नहीं है। वास्तव में, सूचना देने वाला आई. ओ. को बताता है कि घटना का वीडियो बना लिया गया था। जैसा कि कहा गया है, वीडियो में ये शब्द नहीं सुने गए हैं। यह प्रतिलेखन में नहीं है।

51. हितेश वर्मा (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक अपमान करने का इरादा नहीं है, तब तक अधिनियम के तहत अपराध आकर्षित नहीं होता है। वर्तमान मामले में, इस अदालत ने माना था कि याचिकाकर्ताओं और पीड़ित के बीच बातचीत पीड़ित का अपमान या अपमान करने के उद्देश्य या इरादे से नहीं थी।यह पीड़ित के खिलाफ शिकायत थी। यह पीड़ित से पूछताछ थी, जो स्थानीय विधायक था। पीड़ित अपने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, गवाह का कोई भी बयान कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई भी जातिगत टिप्पणी की गई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिशोध लेने के लिए किसी गलत उद्देश्य से किया गया था और यह दुर्भावनापूर्ण भी है। तदनुसार, हस्तक्षेप

आवश्यक है।

52. वर्तमानमामले में, अदालत ने पहले ही कहा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जातिगत टिप्पणी का उच्चारण, जैसा कि गवाहों द्वारा कहा गया है, दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है। इसलिए, किसी भी इरादे का कोई सवाल ही नहीं है ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। अन्यथा भी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं और अन्य ग्रामीणों का इरादा अपने लोक प्रतिनिधि से उनके गैर–प्रदर्शन के लिए सवाल करना था। वह पीड़ित हुआ। उनसे पूछताछ की गई और वास्तव में, याचिकाकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनके गैर–प्रदर्शन के लिए उन्हें घेर लिया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि जब तक वीडियो सार्वजनिक नहीं किया गया, तब तक पीड़ित को कोई कष्ट नहीं थी। लेकिन, एक बार जब इसे गलत उद्देश्यों के साथ सार्वजनिक किया गया, तो प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी से ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों की आवाज को चुप कराने के लिए दर्ज की गई है जिन्होंने पीड़ित के गैर–प्रदर्शन पर सवाल उठाया था। इसे दुर्भावनापूर्ण आपराधिक कार्यवाही कहा जा सकता है।

53. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है और याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।

54. रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

55. एफआइआर नं. 2021 का 198, पुलिस स्टेशन झाबरेरा, जिला हरिद्वार तथा आरोप पत्र अपराध सं. 2021 का 198 भा.दं.सं. की धारा 504,506,34 और धारा 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के (1) (आर) और (ओं) के तहत पुलिस स्टेशन झाबरेरा, जिला हरिद्वार के साथ–साथ और जिला और सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार की अदालत द्वारा विशेष सत्र परीक्षण सं. 2021 का 19, उत्तराखण्ड राज्य बनाम पंकज चौधरी व अन्य में संज्ञान आदेश दिनांक 22.07.2021 को अभिखंडित कर दिया गया है।

(रवींद्र मैथानी, जे.)

03.09.2021